बिहार सरकार
<u>लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग</u>
आदेश

संचिका सं0–12 / वि0–232 / 2024– 191 पटना, दिनांक– 3.2.26

विषयः फर्म **M/S Intergen Energy Pvt. Limited,6th Floor, Pavilion Building, 339/1Mehrauti, Gurgaon Road, Sector-14, Gurgaon, Pin-122002, e-mail-hk@igenergy.in (सूचीबद्धता संख्या–61 / 2017) को लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बांका अंतर्गत 'हर घर नल का जल' निश्चय योजना के तहत जलापूर्त्ति योजनाओं के निर्माण एवं पाँच वर्षो के रख–रखाव में लापरवाही के लिए क्षेत्रीय मुख्य अभियंता भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में फर्म को काली सूची में दर्ज करने के संबंध में।**

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अंतर्गत फर्म M/S Intergen Energy Pvt. Limited, (सूचीबद्धता संख्या–61 / 2017) को लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बांका अंतर्गत 'हर घर नल का जल' निश्चय योजना के तहत जलापूर्त्ति योजनाओं के निर्माण एवं पाँच वर्षो के रख–रखाव का कार्य आवंटित किया गया।

योजनाओं का संचालन तथा मरम्मति एवं संपोषण का कार्य नही करने एवं कृत एकरारनामा यथा–11, 22, 12, 09, 08 एव 23 / 2017–18 के प्रावधानों के अनुरूप ससमय कार्य पूर्ण करने में सम्यक अभिरूचि नही लेने के कारण उक्त हेतु कार्यपालक अभियंता / सहायक अभियंता / कनीय अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बांका के द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक–4269, दि0–16.12.2024, पत्रांक–688, दि0–13.03.2024, पत्रांक–1076 दिनांक–22.04.2024, पत्रांक–1076, दिनांक–22.04.2024, पत्रांक–1365, दिनांक–03.06.2024, पत्रांक–160 दिनांक–21.05.2020, पत्रांक–157, दिनांक–21.05.2020, पत्रांक–156, दिनांक–21.05.2020, पत्रांक–155 दिनांक–21.05.2020, पत्रांक–154, दिनांक–21.05.2020, पत्रांक–153, दिनांक–21.05.2020, पत्रांक–159, दिनांक–21.05.2020 एवं पत्रांक–158, दिनांक–21.05.2020, के माध्यम से फर्म को निदेशित एवं स्मारित किया गया। परन्तु कार्य संपादन में फर्म के द्वारा अभिरूचि नहीं ली गई।

उक्त स्थिति में कार्यपालक अभियंता के कार्यालय पत्रांक–4277, दिनांक–17.12.24 से प्रेषित प्रतिवेदन के आलोक में क्षेत्रीय मुख्य अभियंता भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर के द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक–1104, दि0–19.12.24 के माध्यम से बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के संगत प्रावधानों के तहत फर्म के निबंधन को काली सूची में दर्ज करने हेतु अनुशंसा किया गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक–121, दि0–22.01.2025, पत्रांक–1724 दिनांक–13.11.2025, पत्रांक–1387 दिनांक–27.11.2025 एवं पत्रांक–2022, दि0–18.12.2025 के माध्यम से फर्म को सुसंगत साक्ष्यों के साथ आरोपों के संबंध में अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया। परंतु फर्म उक्त निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रहे। फर्म के द्वारा विभाग को स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन मे उल्लेखित तथ्यों की सम्यक समीक्षा की गई जिससे यह परिलक्षित हुआ कि एकरारनामा के अनुरूप कार्य करने हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा दिये गए निदेश का फर्म के द्वारा अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया है एवं कार्य के प्रति असहयोगात्मक रवैया अपनाया गया है। फर्म के द्वारा कार्य में शिथिलता बरतने एवं विभागीय निदेशों की निरंतर उपेक्षा के कारण योजना का कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है।

अतः क्षेत्रीय पदाधिकारी के प्रतिवेदन एवं मुख्य अभियंता, भागलपुर प्रक्षेत्र भागलपुर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका–11 क (II) ''एकरारनामा में विहित विनिर्देश के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक'' हेतु M/S Intergen Energy Pvt. Limited, (सूचीबद्धता संख्या–61 / 2017), को 03 वर्षो के लिए काली सूची में दर्ज किया जाता है।

उक्त दण्ड के विरूद्ध बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका–11 (घ) के आलोक में एजेन्सी द्वारा 30 (तीस) दिनों के अन्दर सचिव महोदय के समक्ष अपील दायर किया जा सकता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

03/02/26

(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

Black List Office Order

ज्ञापांक–12/वि0–232/2024– 191 पटना, दिनांक– 3·2·26

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना /पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना /बुडको, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक–12/वि0–232/2024– 191 पटना, दिनांक– 3·2·26

प्रतिलिपि–अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय)/सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता /सभी कार्यपालक अभियंता/आई0 टी0 मैनेंजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0 टी0 मैनेंजर को निदेश है कि इसे विभागीय वेवसाईट पर अपलोड किया जाय।

(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

Speed Post

ज्ञापांक–12/वि0–232/2024– 191 पटना, दिनांक– 3·2·26

प्रतिलिपि–कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बांका/संवेदक, M/S Intergen Energy Pvt. Limited, 6th Floor, Pavilion Building, 339/1Mehrauti, Gurgaon Road, Sector-14, Gurgaon, Pin-122002 e-mail-hk@igenergy.in को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक–12/वि0–232/2024– 191 पटना, दिनांक– 3·02·26

प्रतिलिपि–सचिव के प्रधान आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

Black List Office Order